राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 अगस्त 2006

सं. ए-36024/1/2006-स्थापना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एतद्वारा दिनांक 10.8.1985 की अधिसूचना सं. के-14011/13/85- रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड, जिसके द्वारा, विभिन्न कानूनों के अधीन क्रम सं.26 की मद III के अधीन धारा 22 (2) (ए) के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष होने के नाते बोर्ड के सदस्य सचिव को वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थी। लोकहित को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त अधिसूचना में दिनांक 14 दिसम्बर, 1987, 4 जुलाई, 1991 और 9 जनवरी, 1997 की अधिसूचनाओं के द्वारा समय-समय पर संशोधन किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सदस्य सचिव की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाए जाने के लिए यह संशोधन किया गया है जिसे दिनांक 24.5.2006 को आयोजित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 29वीं बैठक में अनुमोदित कर दिया गया था।

यह संशोधन अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन की सूचना की तारीख अर्थात 9.8.2006 से लागू हुआ माना जाएगा।

विद्यमान उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

मद्	प्रयोजन	कार्यविधि	शर्तें और सीमा
निश्चित अवधि आधार जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी पर इन-हाऊस परामर्शदाता की नियुक्ति	इन-हाऊस परामर्शदाता निम्नलिखित कार्यों में बोर्ड की सहायता करेगा: • भौतिक और सामाजिक अवसंरचना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित प्रकार्यात्मक योजनाओं का तैयार करना; • उप-क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करने के लिए सहायता; • परियोजना विकल्पों और परियोजना विकास का लकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता विश्लेषण; • इन सीटू गंदी बस्तियों के सुधार जैसी समाजिक अवसंरचना परियोजनाओं को डिजाइन करना; • बोर्ड द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन और • वित्त, प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोजन अथवा विधिक सलाह से संबंधित विशिष्ट तकनीकी कार्य ।	इन-हाऊस परामर्शदाता की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:- • सदस्य सचिव - अध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड • संयुक्त सचिव/वित्त सलाहकार - सदस्य अथवा मुख्य नियंत्रक लेखा, शहरी विकास मंत्रालय • शहरी विकास मंत्रालय में - सदस्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का कार्य देखने वाले संयुक्त सचिव अथवा निदेशक • विषय से संबंधित दो विशेषज्ञ - सदस्य सहयोजित किए जाएगें परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिए किसी अभ्यर्थी पर विचार करने से पहले समिति सर्वप्रथम शिक्षा अहर्ताएं, प्रमाणित निपुणता आदि जैसे मूल आधार अनुमोदित करेगी।	• प्रति इन-हाऊस परामर्शदाता को अधिक से अधिक अदायगी 10 लाख रुपये से अधिक नहीं की जाएगी। • परामर्शदाता को कार्य को पूरा करने के लिए समय सीमा वाली एक निश्चित शर्तें दी जाएगीं • ऐसे परामर्शदाताओं पर, एक वर्ष में कुल राशि 50 लाख रूपये से अधिक खर्च नहीं की जाएगी। • इसके अतिरिक्त, दिल्ली से बाहर दौरों के लिए, केन्द्रीय सरकार के ग्रुप 'ए' के अधिकारियों पर लागू दर से यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अदा किया जाएगा। • परामर्शदाता द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - दिल्ली के अन्दर सरकारी कार्य के लिए क्षेत्र के दौरों के लिए वाहन/टैक्सी की सुविधा बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

एच. एस. आनन्द
सदस्य सचिव
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

New Delhi-110003, the 23rd August 2006

No. A-36024/1/2006-Estt —

In exercise of the powers conferred by Section 32 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), National Capital Region Planning Board hereby further amends Notification No. K- 14011/13/85-NCRPB, dated 10.8.1985 whereby financial powers were delegated to the Member Secretary of the Board under Section 22(2) (a) under item III serial No. 26, by virtue of his being Head of the Department under various Rules. The above said notification has been amended from time to time in the exigencies of public interest by Notifications 14th December, 1987, 4th July, 1991 and 9th January, 1997 leading to this amendment for enhancing the financial powers of the Member Secretary, which has been approved in the 29th Meeting of the National Capital Region Planning Board, held on 24.5.2006.

This Amendment shall be deemed to have come into force with effect from the date of intimation of approval by the Chairman, National Capital Region Planning Board i.e. 9.8.2006.

The following shall be substituted against the existing provisions:-

Item	Purpose	Procedure	Terms & Limit
Appointment of in-house consultants on fixed tenure basis not exceeding one year.	The in-house consultants will assist the Board in the following tasks: - Preparation of Functional Plans relating to core areas of physical and social infrastructure ; - Support for preparation of Sub-Regional Plans; - Techno-economic feasibility analysis of project options and Project Development; - Design of social infrastructure projects like in-situ upgradation of slums; - Impact assessment of the projects financed by the Board & - Specific technical tasks pertaining to finance, administration, IT applications or legal advice.	• In-house consultants will be appointed by a Committee consisting of the following: - Member Secretary - Chairman NCR Planning Board - Joint Secretary/FA or Chief Controller of Accounts, M/o. Urban Development - Member - Joint Secretary or Director Dealing with NCRPB in M/o. Urban Development -Member - Two subject matter Specialists to be co-opted. - Members The Committee, in the first instance, will also approve basic criteria such as educational qualifications, proven expertise etc. before considering any candidate for appointment as consultant.	- The maximum payment per in-house consultant will not exceed Rs. 10 lakhs. - The Consultant will be given firm TORs with a time frame for delivery. - The total amount on such consultants will not exceed Rs. 50 lakhs in a year. - In addition, they will be paid TA/DA as applicable to Group 'A' officers of the Central Govt. for tours outside Delhi. - The Board will provide the facility of a vehicle/taxi for official field visits by the consultants within the NCT of Delhi.

H.S. Anand
Member Secretary,
National Capital Region Planning Board

2-24961/06